# बिहार सरकार
## युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
## ।। आदेश ।।

पटना–01, दिनांक–

इस सुनवाई का आधार श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशकों का अभ्यावेदन है, जिसमें आवेदकों द्वारा सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत आदेश–3922, दिनांक–18.12.2025 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–32, दिनांक–14.06.2024 द्वारा दोनों आवेदकों को प्रदत्त उप प्राचार्य के पद के कार्यकारी प्रभार को समाप्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व प्रदत्त उप प्राचार्य का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

2. आवेदकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्पित अभ्यावेदनों में मुख्यरूप से निम्नलिखित बातें अंकित की गयी है–

(i) माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No-7111/2026 में दिनांक–11.05.2026 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–32 दिनांक–14.06.2024 के निर्गमन की तिथि से ग्रुप अनुदेशक के पद से अस्थायी व्यवस्था के तहत उप प्राचार्य (वेतन स्तर–09) के पद का कार्यकारी प्रभार के साथ–साथ पूर्व से प्रदत्त प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार देने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय पटना में ग्रुप अनुदेशक से उप प्राचार्य के पद का कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में दायर वाद CWJC No-7111/2026 शैलेन्द्र भारती एवं संजीव कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–11.05.2026 का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

*"7. This Court is of the considered view that the petitioners ought to challenge Annexure-P/6, which is impugned herein, before the Principal Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar, Patna, firstly on the point of jurisdiction and secondly on the basis of the judgments upon which the petitioners seek to rely (Annexure P/7 to P/9 to the writ petition).*

*8. Accordingly, the petitioners are granted liberty to file a fresh representation before respondent no.2, namely, the Principal Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar, Patna, within a period of thirty days.*

*Upon filing of such representation along with a copy of this order, the Principal Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar, Patna, shall pass an appropriate order on the same within a period of 90 days thereafter."*

(iii) आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि बेहतर प्रशासन के लिए बिहार सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग को दो अलग–अलग और स्वतंत्र विभागों में विभाजित किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1569 दिनांक–10.12.2025 द्वारा एक नया 'युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग' अस्तित्व में आया और प्रभावी हुआ। इस प्रकार नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय नये विभाग का हिस्सा बन गया और दोनों कर्मी दिनांक–10.12.2025 से ही युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के कर्मचारी बन गये। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत आदेश–3922 दिनांक–18.12.2025 को पटना उच्च न्यायालय के CWJC No-7111/2026 द्वारा पारित न्यायादेश में इसे श्रम संसाधन विभाग, पटना के श्रम संसाधन विभाग, पटना क्षेत्राधिकार से बाहर का आदेश बताया।

(iv) यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों आवेदकों ने शैक्षणिक वर्ष 2010–12 में IGNOU, नई दिल्ली के माध्यम से वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम (VIEP) के तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। जिसके लिए आवेदकों द्वारा सेवाकाल के दौरान ही दूरस्थ शिक्षा के तहत निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुमति ली गई थी। साथ हीं यह भी वर्णित है कि अर्जित Diploma In Electrical Engineering Course में नामांकण के लिए 2010 का Prospectus में Course पूरा करने के लिए Credit System के तहत Cource पूरा करना था, जिसे दोनों ने पूरा किया।

(v) इसके अलावा इग्नू VIEP के तहत प्राप्त डिप्लोमा की वैधता पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या (C) संख्या–382/2018 में दिनांक–11.03.2019 को निदेश दिया गया कि 2009–2010 तक दिये गये डिप्लोमा वैध माने जायेंगे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट संख्या (ब)–1341/2019 (मो०नसीम बेग व अन्य बनाम ए०आई०सी०टी०ई०) में 18.09.2020 के आदेश द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2010–11 और 2011–12 तक के छात्रों द्वारा अर्जित VIEP (Vertically Integrated Engineering Program) कोर्स को Distance education course (दूरस्थ शिक्षा कोर्स) मानते हुए वैधता प्रदान किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो कर अपना पक्ष निम्नवत प्रस्तुत किया गया :–

| क्र० सं० | निर्धारित तिथि | निम्न विभागीय पत्रांक एवं दिनांक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने हेतु दोनों याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया गया। | समर्पित पक्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.08.2026 | पत्रांक–970,<br>दिनांक–07.08.2026 | – | अपरिहार्य कारणवश स्थगित। |
| 2. | 01.09.2026 | पत्रांक–1097,<br>दिनांक–25.08.2026 | माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-7111/2026 में दिनांक–11.05.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। | अगली सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। |
| 3. | 08.09.2026 | पत्रांक–1175,<br>दिनांक–07.09.2026 | समर्पित अभ्यावेदन में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निर्गत आदेश–3922, दिनांक–18.12.2025 पर विचार करने का अनुरोध किया गया। | विभागीय अधिसूचना संख्या–32 दिनांक–14.06.2024 द्वारा प्रदत्त उप प्राचार्य के पद का कार्यकारी प्रभार प्राप्त कर्मियों के विरूद्ध असंगत न्यूनतम शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रभार प्राप्ति संबंधित आरोप की बिंदुओं पर जाँच हेतु क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी पटना प्रमंडल, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन हस्तगत कराते हुए जांच प्रतिवेदन में इंगित बिंदुओं पर अगली सुनवाई को अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। |
| 4. | 15.09.2026 | पत्रांक–1226,<br>दिनांक–10.09.2026 | उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन में इंगित बिंदुओं पर अपना लिखित पक्ष रखने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं द्वारा जांच प्रतिवेदन पर कुछ नहीं कहा गया एवं अपने पूर्व में दिये गये अभ्यावेदन यथा–दिनांक– 05.06.2026 एवं 01.09.2026 के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। | – |

5. दोनों आवेदकों द्वारा सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किये गये पक्ष एवं समर्पित अभ्यावेदनों में अंकित किए गए बिन्दुओं के संदर्भ में प्रासंगिक घटनाक्रम/प्रावधान निम्नवत् हैं :–

| क्र० सं० | मुख्य घटनाक्रम | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1. | बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2020 के कंडिका–02 में प्रावधान | "उप प्राचार्य एवं समकक्ष के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष आवश्यक है। के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष निर्धारित है।" |
| 2. | अधिसूचना–32 दिनांक–14.06.2024 | विभागीय स्क्रीनिंग समिति का अनुशंसा के आलोक में ग्रुप अनुदेशक के पद से अस्थायी व्यवस्था के तहत उप प्राचार्य (वेतन स्तर–09) के पद का कार्यकारी प्रभार दोनों याचिकाकर्ताओं को प्रदत्त किया गया। |
| 3. | माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC No-11107/2024 नित्यानन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य | माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC No-11107/2024 द्वारा दिनांक– 29.07.2024 को पारित न्यायादेश में विभागीय अधिसूचना–32 दिनांक– 14.06.2024 के संदर्भ में याचिकाकर्ता को सक्षक प्राधिकार के समक्ष अभ्यावेदन देने का सुझाव दिये जाने के उपरांत याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक–22.08.2024 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया। |
| 4. | दिनांक–29.07.2024 को पारित न्यायादेश एवं दिनांक–22.08.2024 को प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में जाँच समिति का गठन किया गया | दिनांक–04.07.2025 को विभागीय पत्रांक–3294, दिनांक–24.09.2024 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–32 दिनांक–14.06.2024 द्वारा प्रदत्त उप प्राचार्य के पद का कार्यकारी प्रभार प्राप्त कर्मियों के विरूद्ध न्यूनतम शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जाँच हेतु समिति का गठन किया गया। गठित जाँच समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक–31.12.2024, 04.07.2025 एवं 31.07.2025 को उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन में वर्णित है कि श्री भारती एवं श्री वर्मा द्वारा अर्जित डिप्लोमा की उपाधि नियमानुकूल रूप से पूर्ण नहीं की गई है। |
| 5. | आदेश–3922 दिनांक–18.12.2025 | माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC No-11107/2024 द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवेदकों द्वारा समर्पित अभ्यावेदनों एवं गठित जाँच समिति के प्राप्त प्रतिवेदन में श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा योग्यताधारी कोर्स नियमानुकूल रूप से पूर्ण नहीं करने संबंधी मंतव्य के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्रम संसाधन विभाग के आदेश सं०–3922, दिनांक–18.12.2025 द्वारा श्री भारती एवं श्री वर्मा को विभागीय अधिसूचना सं०–32, दिनांक–14.06.2024 द्वारा प्रदत्त उप प्राचार्य के पद के कार्यकारी प्रभार को समाप्त किया गया। |

6 श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्यतः दो बिंदुओं पर सुनवायी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो निम्न हैः–

(i) प्रथम बिंदु, जिसमें सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत आदेश–3922, दिनांक–18.12.2025 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–32, दिनांक–14.06.2024 द्वारा दोनों आवेदकों

को प्रदत्त उप प्राचार्य के पद के कार्यकारी प्रभार को समाप्त किये जाने संबंधी आदेश, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

6 श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्यतः दो बिंदुओं पर सुनवायी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो निम्न हैः–

(i) प्रथम बिंदु, जिसमें सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत आदेश–3922, दिनांक–18.12.2025 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–32, दिनांक–14.06.2024 द्वारा दोनों आवेदकों को प्रदत्त उप प्राचार्य के पद के कार्यकारी प्रभार को समाप्त किये जाने संबंधी आदेश, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपर्युक्त बिंदु के आलोक में मुख्य तथ्य यह है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या–1569 दिनांक–10.12.2025 द्वारा श्रम संसाधन विभाग के पुर्नगठन के फलस्वरूप दिनांक–10.12.2025 से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का नये विभाग के रूप में स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन होने के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का क्षेत्राधिकारिता नये विभाग के अंतर्गत हो जाने के कारण सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा निर्गत आदेश–3922, दिनांक–18.12.2025 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०–32, दिनांक–14.06.2024 द्वारा दोनों आवेदकों को प्रदत्त उप प्राचार्य के पद के कार्यकारी प्रभार को समाप्त किये जाने संबंधी आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

(ii) द्वितीय बिंदु, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न आदेश, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता दावा करते हैंः–

<u>अनुलग्नक–*P/7*</u> जिसमें वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CIVIL Appeal No. 3697-3698/2018 (Jawaharlal Nehru Technological University Registrar Vs The Chiarman and Managing Director Transmission Corporation of Telangana LTD & ORS.) में दिनांक–10.04.2018 को पारित आदेश निम्नवत् हैः–

*"While we find merit in the submission of learned counsel for the respondents that the view taken by the High Court is correct in law, in view of distinguishing features in the present case noted in the order issuing notice, while directing that norms must be followed in future, the degrees and diplomas in question already granted to candidates*

*admitted up to academic year 2009-2010 may be left undisturbed. To this extent, the impugned order stands modified. "*

**अनुलग्नक–*P/8*** जिसमें वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या (C) संख्या–382/2018 (मुकुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम AICTE & ORS.) में दिनांक–11.03.2019 को पारित आदेश निम्नवत् हैः–

*"Following our earlier orders, in particular, the order of 10.04.2018, We direct that the norms of AICTE must be followed in future. However, the degrees and diplomas in question that are granted and candidates admitted up to the academic year 2009-10 are*

*left undisturbed. Consequently, the degrees and diplomas granted by the IGNOU to them will be considered to be Valid in Law. "*

**साथ ही अनुलग्नक–*P/9*** जिसमें वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट संख्या (c)–1341/2019 (मो० नसीम बेग व अन्य बनाम AICTE & ORS.) में दिनांक–18.09.2020 को पारित आदेश निम्नवत् हैः–

*"In the present case, the petitioners before us are diploma holders in what is called the Vertically Integrated Engineering Programme, which is one of the two distance education courses that degrees and diplomas of IGNOU in such distance education courses up to the years 2009-10 be left undisturbed. We grant the same relief to the petitioners who will be covered in the years 2010-11 and 2011-12.*

*We make it clear that since there is no distance education courses in IGNOU after these years and these are the last batches who will be granted the reliefs that were granted by our order dated 11.03.2019, as a one-time measure therefore, these batches will also be granted this relief. We allow this writ petition with no order as to costs."*

उपर्युक्त बिंदु के आलोक में मुख्य तथ्य यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CIVIL Appeal No. 3697-3698/2018 (Jawaharlal Nehru Technological University Registrar Vs The Chiarman and Managing Director Transmission Corporation of Telangana LTD & ORS.) में दिनांक–10.04.2018 को पारित आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या (C) संख्या–382/2018 (मुकुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम AICTE & ORS.) में दिनांक–11.03.2019 को पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट संख्या (c)–1341/2019 (मो० नसीम बेग व अन्य बनाम AICTE & ORS.) में दिनांक–18.09.2020 को पारित आदेश में इग्नू से सत्र–2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान दूरस्थ माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को वैध माना गया है। साथ ही उक्त आदेश एवं AICTE के पत्रांक–AICTE/P&AP/IGNOU/Misc./2020/ दिनांक–25.11.2020 में यह

भी वर्णित है कि इस आदेश को एक विशेष मामले के रूप मे वैध मानने पर कोई आपत्ति नहीं है और इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जा सकता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा द्वारा दूरस्थ माध्यम से प्राप्त इंजीनियरिग में डिप्लोमा के प्रमाण पत्र एवं मूल अंक–पत्र पर Lateral Entry, Diploma in Electrical Engineering (On campus full time programme) अंकित है, साथ ही इग्नू के पत्रांक–IGSOET/2025/5707, दिनांक–27.05.2025 में श्री भारती एवं श्री वर्मा के सबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखित हैः–

"Mr Shailendra Bharti (Enrollment No-105302771) and Mr. Sanjeev kumar Verma (Enrollment No-105302772) Enrolled in Diploma in Electrical Engineering (DELVI) Through lateral Entry by on campus/full time Programme (mentioned in the Grade Card of the candidate)" एवं "F.No. IG/SOET/2025/5721 Dated 24-06-2025 के बिन्दु–1 के अंतिम अनुच्छेद में उल्लेखित है कि "Student enrolled in IGNOU-vertically integrated engineering Programmes were required to attend the face to face class room teaching at these study Centre".

जांच प्रतिवेदन में मुख्य बिंदु यह लिखा है कि ये एक रेगुलर कोर्स है एवं इग्नु ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि उक्त प्रोग्राम हेतु न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत की आवश्यकता है और उसी अवधि में जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि वे लगातार वेतन प्राप्त किये हैं। इस संबंध में द्रष्टव्य है कि इग्नु अध्ययन केंद्र मुजफ्फरपुर अवस्थित Chetan Sadhan Insitute of Science & Technology (V14601), Chetra Main Road, Juran Chapra, Muzaffarpur-842001 था। पढ़ाई के समय श्री भारती एवं श्री वर्मा का पदस्थापन क्रमशः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी था। उन्होंने मौखिक रूप से दावा किया की सप्ताहिक/राजपत्रित अवकाश/शाम के समय Classes किया करते थे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का Working Hour 10:00 AM–05:00 PM है।

समीक्षोपरांत निम्न तथ्य द्रष्टव्य हैः–

(i) वर्तमान मामला श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत न होकर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत है।

(ii) IGNOU के प्रमाण पत्र एवं मूल अंक–पत्र में बताया गया है कि दोनों कर्मी Lateral Entry, Diploma in Electrical Engineering (On campus full time programme) में शामिल थे।

(iii) निदेशालय, नियोजन एवं (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार पटना के पत्रांक–748, दिनांक–06.03.2025 एवं पत्रांक–2125, दिनांक–01.08.2025 द्वारा निदेशालय स्तर से श्रीमती विजय लक्ष्मी, क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के जाँच प्रतिवेदन में श्री भारती एवं श्री वर्मा द्वारा अर्जित डिप्लोमा की उपाधि नियमानुकूल रूप से पूर्ण नहीं किये जाने का मंतव्य दिया गया है। मंतव्य में यह बताया गया कि यह एक on campus/full time Programme है, जिसके लिए एवं उक्त पाठ्यक्रम की अवधि में दोनों के द्वारा पूर्ण वेतन का लाभ लेते हुए डिप्लोमा की उपाधि अर्जित किया गया, जो संबद्ध स्टडी सेंटर में पूर्ण कालिक उपस्थिति नहीं होने को इंगित करता है। **इनको जाँच प्रतिवेदन पर आपत्ति करने एवं पक्ष रखने का मौका दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर कुछ आपत्ति नहीं की गई, प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों को भी उनके द्वारा नकारा नहीं गया।**

(iv) बिहार सेवा संहिता में विभिन्न प्रकार के अवकाश यथा–उपार्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि का प्रावधान किया गया है परंतु दोनों कर्मियों द्वारा शैक्षणिक सत्र–2010–12 की अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है।

(v) विभागीय ज्ञापांक–2832, दिनांक–16.12.2009 एवं ज्ञापांक–298, दिनांक–09.02.2010 द्वारा दोनों कर्मियों को इग्नू के माध्यम से अंशकालीन डिप्लोमा में नांमाकण की अनुमति प्रदान की गयी थी परंतु दोनों ने पूर्णकालिक (Full Time Face to Face) कोर्स में दाखिला लिया, जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के उल्लंघन एवं कदाचार प्रतीत होता है।

(vi) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश (अनुलग्नक–P7 to P9) के अनुसार IGNOU के Vertically Integrated Engineering Program के तहत वर्ष 2011–12 तक दिए गए डिप्लोमा को वैद्य माना गया है।

यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन है तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

(i) श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशकों द्वारा अर्जित डिप्लोमा नियमानुकूल रूप से प्राप्त नहीं की गयी है। अतः अर्जित डिप्लोमा के संबंध में IGNOU को Refer करने हेतु निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है।

(ii) श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशकों द्वारा सत्र 2010–12 में IGNOU, New Delhi के माध्यम से Electrical Engineering में Diploma की उपाधि, एक

Lateral Entry, Diploma in Electrical Engineering (On campus full time programme) है, जिसको दोनों कर्मी ने सरकारी सेवा के दौरान बिना किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग किये पूर्ण वेतन का लाभ लेते हुए अर्जित किया हैं। अतएव जांच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत कर्मचारी पर MisConduct, Unauthorized absence, or False declaration के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है।

(iii) श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशकों के दावे के संबंध में उक्त मामले को उच्चतर पद के कार्यकारी प्रभार दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–277, दिनांक–26.03.2026 द्वारा गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखने का निदेश दिया जाता है।

इस प्रकार श्री शैलेन्द्र भारती एवं श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशकों के अभ्यावेदन का निष्पादन किया जाता है।

30/10

सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11/प्रशि०न्याय–09/2026 1578 /यु०रो०  पटना–01, दिनांक– 02/11/2026

**प्रतिलिपि** :–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/श्री शैलेन्द्र भारती, ग्रुप अनुदेशक, महिला औ०प्र०सं०, मधुबनी/श्री संजीव कुमार वर्मा, ग्रुप अनुदेशक, औ०प्र०सं०, अरेराज, पूर्वी चंपारण/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.10.2026

सरकार के अवर सचिव।